# झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में

## सी. एम. पी. संख्या 394/ 2019

---

नंद किशोर महतो

....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. उपायुक्त, चतरा

3. जिला शिक्षा अधीक्षक, चतरा

4. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, हंटरगंज-2, चतरा

5. विनय कुमार सिंह,प्रधानाचार्य, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पिंडरी-कला, हंटरगंज

.............उत्तरदाता

---

**कोरम:माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

----

याचिकाकर्ता के लिए: श्री मुन्ना लाल यादव, अधिवक्ता

विपक्षी-राज्य के लिए: सीनियर एस. सी.-II के ए. सी.

---

3/31. 01. 2020 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की दलीलें सुनी गई।2. याचिकाकर्ता ने डब्ल्यूपीएस सं. 3077/2017 की पुनर्बहाली की मांग की है, जिसे दिनांक 26.09.2018 के आदेश में निर्धारित समय के भीतर फाइल के दोषों को नहीं हटाने के कारण तथा गैर-अभियोजन के कारण खारिज कर दिया गया था।

3. याचिकाकर्ता के विद्वत वकील ने निवेदन किया है कि रिट याचिका में सेवानिवृत्ति के लाभों का दावा किया गया है। असावधानी के कारण निर्धारित समय के भीतर त्रुटियां दूर नहीं की जा सकी, क्योंकि उक्त तारीख को काफी अधिक संख्याि में मामले सूचीबद्ध थे।यदि रिट याचिका को पुनर्बहाल नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी।4. उत्तरदाता के विद्वत अधिवक्ता ने इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया है।

5. बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए और पक्षकारों के निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका डब्ल्यूपीएस नं. 3077/2017 को इसकी मूल फाइल में बहाल किया जाता है।तथापि, इस विद्यमान त्रुटि को दो सप्ताह के भीतर अवश्यत दूर कर लिया जाए।

इस प्रकार, इस सीएमपी का निपटान किया जाता है।आईए नंबर 5077/2019 को भी बंद किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया०)

रंजीत /